न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0ः–335 / 2021 तारीख रजु 27.08.2021

सीसीएमएस आई0डी0ः– 2021 / 410

भीमसिंह पुत्र नारायण जाति–मीना निवासी–इरनिया तहसील–श्रीमहावीरजी, जिला–करौली

––सायल

बनाम

1. मुनीम पुत्र श्योफूल, जाति–मीना, निवासी–इरनिया, तहसील– श्रीमहावीरजी, जिला–करौली।
2. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार तहसील श्रीमहावीरजी, जिला–करौली।

–––गैरसायलान–02

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–1. श्री पी एल गोयल वकील सायलान

2. श्री प्यारेलाल पोहिया वकील गैरसायलान

निर्णय दिनांक 28-2-25

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर–30 रकबा–20 ऐयर खसरा नम्बर–4 रकबा 10 ऐयर, खसरा नम्बर–52 रकबा 13 ऐयर, खसरा नम्बर–53 रकबा–5 ऐयर खसरा नम्बर–534 / 1440 रकबा 6 ऐयर, खसरा नम्बर–535 / 1441 रकबा 5 ऐयर, खसरा नम्बर–871 रकबा–20 ऐयर, कुल किता–7, कुल रकबा 0.79 हैक्टेयर स्थित ग्राम इरनिया, तहसील–श्रीमहावीरजी स्थित है।

उपरोक्त आराजीयात में सायल 1 / 20 हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं उक्त आराजीयात में सायल के परिवारजन सह–खातेदारा है एवं सायल व अन्य सह–खातेदारान ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है इस प्रकार उक्त आराजीयात सायल एवं उनके परिवारजनों की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है, जिससे अन्य किसी व्यक्ति का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्टया केस मजबूत होता है। सायल सीधा–साधा व्यक्ति है एवं गैरसायल नम्बर–1 दबंग किस्म का व्यक्ति है, जो आये दिन गरीब व सीधे साधे व्यक्तियों की भूमियों पर जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा करने की फिराक में रहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:00 IST
Reason: SelfAttested

बांका दिनांक 18.08.2021 को समय सुबह करीब 08:00 बजे का है कि सायल अपनी खातेदारी व कार्यकारत की भूमि खसरा नम्बर–534/1440 एवं खसरा नम्बर–535/1441 की भूमि की देखभाल करने गया तो वहां पर गैरसायल नम्बर–1 आ गया एवं उसने कहा कि उक्त भूमि पर मैं जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा करके रहूँगा एवं भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर इस पर निर्माण कार्य करूंगा एवं भूमि को नाकाबिल काश्त बनाकर रहूँगा, तुझसे बने सी कर लेना। सायल ने गैरसायल नम्बर–1 से हाथ जोड़कर कहा कि भाई यह भूमि तो मेरी खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है. इससे तेरा क्या लेना देना है, लेकिन गैरसायल नम्बर–1 काफी समझाने के वाद भी मानने को तैयार नहीं है एवं उसने आग बबूला होकर सायल से कहा कि आवन्दा इस भूमि पर पैर मत रखना वरना तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दायर करना लाजिम हुआ।

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पावन्द फरमाया जावें कि वह सायल की भूमि खसरा नम्बर–534/1440 रकबा– ऐयर एवं खसरा नम्बर–535/1441 रकबा 5 ऐयर स्थित ग्राम इरनिया की भूमि पर किसी प्रकार का जबरन लट्ठ के बल पर अवैध निर्माण ना तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें एवं भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करें ना किसी अन्य से करावें एवं भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें एवं ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें, जिससे उक्त भूमि में सायल के उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान पैदा हो तथा सायल को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। मौके एव रिकॉर्ड की स्थिती यथावत बनाएँ रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान न0 1 की ओर से को श्री प्यारेलाल पोहिया अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं आदेशिका दिनांक 31.03.2022 से जवाब पेश किया जो निम्नानुसार है:–

1. प्रार्थना पत्र के मद न0 1 में सायल द्वारा गैरसायल न0 1 के विरूद्ध कतई गलत एवम झूठा दावा [illegible] स्वीकार है, जिसमें उसे सफलता का कोई चांस नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:00 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र का मद न0 02 जानकारी के अभाव में गैरसायल न0 1 को स्वीकार नहीं है।

3. प्रार्थना पत्र का मद न0 3 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गैरसायल स0 1 को जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है।

4. प्रार्थना पत्र का मद न0 4 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, कतई गलत एवम झूंठा होने के कारण अस्वीकार है। इस मद में दर्ज बाते असत्य है। गैरसायल स01 बहुत ही सीधा सादा गरीब शांति प्रिय व्यक्ति है, गैरसायल स01 लड़ाकू व बदमाश किस्म का व्यक्ति नहीं है, गैरसायल स0 1 किसी भी व्यक्ति व बदमाश किस्म का व्यक्ति नहीं है, गैरसायल स0 1 किसी भी व्यक्ति की भूमि पर कब्जा करने की फिराक में नहीं है। बल्कि वादी सायल बहुत ही तेज तर्रार मुकदमा बाज व्यक्ति है, जो कि सीधे साधे लोगो के विरूद्ध झूठे मुकदमाबाजी करता रखता है।

5. प्रार्थना पत्र का मद न0 5 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, कतई गलत एवम झूंठा होने के कारण अस्वीकार है। गैरसायल स0 1 दिनांक 18.01.2021 को समय सुबह करीब 08:00 बजे सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरी न0 534/1440 एवम 535/1441 पर नहीं गया और गैरसायल स0 1 ने जबरन लाठी के बल पर कब्जा करने की नहीं कही है, और कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित करने की धमकी नहीं दी और निर्माण करने की भी नहीं कही। और नाकाबिल काश्त बनाने बात भी नहीं कही। इस मद वर्णित कोई बात गैरसायल स0 1 द्वारा सायल से नहीं कही है। गैरसायल स0 1 बहुत ही सीधासादा गरीब शांतिप्रिय व्यक्ति है, जिसका सायल व उसकी जमीने से कोई लेना देना किसी प्रकार का नहीं है। गैरसायल स0 1 सायल की जमीन मे कोई दखलन्दाजी नही कर रहा है, सायल ने कतई गलत एवम झूंठा दावा एवम प्रार्थना पत्र पेश कर दिया हैं, जो खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:00 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रार्थना पत्र का मद न0 6 कतई गलत एवम झूंठा होने के कारण अस्वीकार है। गैरसायल स0 1 को कानूनन पाबंद नहीं किया जा सकता। जब सायल की भूमि पर गैरसायल स0 1 ने कभी कब्जा करने

व उसे बेदखल करने की कोशिश ही नहीं की व निर्माण करने की कोशिश ही नहीं की तो उसे पाबंद नही किया जा सकता है। सायल अपने खसरा न0 535 पर निर्माण कर रहा है। सायल को कोई अपूर्तनीय क्षति नही है। यदि गैरसायल स0 1 को पाबंद कर दिया तो गैरसायल स0 1 को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति द्रव्य से संभव नहीं हो सकेगी। प्रार्थना पत्र गलत पेश कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है।

गैरसायल स0 1 का सायल की जमीन से कोई लेना देना नहीं है। गैरसायल स0 1 की मालिकाना हक की भूमि खसरा न0 535 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम इरनिया है जो कि गैरसायल स0 1 के पिता श्योफुल के नाम खातेदारी दर्ज है और गैरसायल स0 1 अपने हिस्से की जमीन पर काबिज एवम दखील है। तथा खसरा न0 535 पर निर्माण कर रहा है। सायलान का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन करे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 335 वाके ग्राम इरनिया तहसील श्रीमहावीरजी पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और कहा गया कि गैरसायलान को दौराने वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावें कि वह सायल की भूमि खसरा नम्बर–534/1440 रकबा–ऐयर एवं खसरा नम्बर–535/1441 रकबा 5 ऐयर स्थित ग्राम इरनिया की भूमि पर किसी प्रकार का जबरन लट्ठ के बल पर अवैध निर्माण ना तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें एवं भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करने ना किसी अन्य से कराने एवं भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें एवं ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करने ना किसी अन्य से करावें, जिससे उक्त भूमि में सायल के उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान पैदा हो तथा सायल को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। मौके एव रिकॉर्ड की स्थिती यथावत बनाएँ रखने का निवेदन किया। गैरसायलान वकील ने दौराने बहस में जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराये और कहा गया कि गैरसायल स0 1 का सायल की जमीन से कोई लेना देना नहीं है। गैरसायल स0 1 की मालिकाना हक की भूमि खसरा न0 535 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम इरनिया है जो कि गैरसायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:00 IST
Reason: SelfAttested

स0 1 के पिता श्योफुल के नाम खातेदारी दर्ज है और गैरसायल स0 1 अपने हिस्से की जमीन पर काबिज एवम दखील है। तथा खसरा न0 535 पर निर्माण कर रहा है। सायल का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 335 वाके ग्राम इरनिया तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि उक्त आराजीयात के सायलान सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। सायलान की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 27.08.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 534/1440 वाके ग्राम इरनिया तहसील श्रीमहावीरजी में मौका की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 28-2-25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 28/2/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:00 IST
Reason: SelfAttested